पुस्तकालय

3299
17/4/13

सत्यमेव जयते

असंशोधित

13 APR 2013

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बि0स0मु0(एल0ए0वादवृत्त),184–डी0टी0पी0–1,500

प्रतिवेदन शाखा
पै०स०प्रे०सं०...1056...तिथि...17/5/13

154

अध्यक्ष : वापस तो ले लिया है न।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में इनसे हम राय लेकर के कुछ सड़कों का हमने अनुशंसा लिया था, हम देखते हैं महोदय क्या स्थिति है फंड का और हमने कहा है कि पहले हम डूडा से तैयार करवा लेते हैं इस्टीमेट और प्राक्कलन जब आ जायेगा महोदय, देखते हैं क्या निधि लगेगा तब इसपर विचार किया जायेगा तो हमारा अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष : क्या माननीय अमरेन्द्र बाबू, अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय मंत्रीजी के आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय अमरेन्द्र प्रताप सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं०-२४-श्री दुर्गा प्रसाद सिंह,स०वि०स०

अध्यक्ष : पुट हो गया है। माननीय मंत्री शिक्षा।

श्री पी०के०शाही,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संकल्प के प्रसंग में कहना है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति के कार्यकाल का निर्धारण विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत होता है, सम्प्रति राज्य सरकार के स्तर पर कुलपति के कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतएव माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेगें ?

श्री दुर्गा प्रसाद सिंह : ये पिछले दिनों राजभवन और सरकार के बीच बहुत चर्चा हुआ कुलपति के मामले में हम सोचते हैं कि पांच साल में दो बार सरकार को कुलपति बनाना पड़ता है इस कारण से काफी कठिनाई होती है। हम चाहते हैं कि सरकार पांच साल का कार्यकाल कर दे ताकि एक ही बार.....

अध्यक्ष : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री दुर्गा प्रसाद सिंह : मैं आशा लेता हूँ इस आशा के साथ कि सरकार इसपर निर्णय लेगी।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय दुर्गा प्रसाद सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम सं०-२०-श्री जितेन्द्र कुमार,स०वि०स०

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं पढ़ चुका हूँ, तीन घंटे से इंतजार कर रहा हूँ।

श्री पी०के०शाही, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन विद्यालय द्वारा ससमय कार्य का निष्पादन नहीं करने के कारण ए०सी०/डी०सी० बिल के सामंजन के क्रम में कर्णांकित राशि चालान के द्वारा संगत शीर्ष में जमा की गयी है। राज्य योजनान्तर्गत संसाधन की उपलब्धता के उपरांत प्रश्नाधीन विद्यालय को संबंधित मद में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। अतएव मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें और ऐसे क्षेत्र विकास योजना में २ करोड़ हो गया है माननीय सदस्य उससे भी खरीद दे सकते हैं।